क्रम संख्या–119

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू० एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025

श्रावण 3, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4

संख्या 202/बावन-4–2025-13(एच)-2017

लखनऊ, 25 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0–125

चूँकि हज समिति अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 35, सन 2002) की धारा 18 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम सरकारी अधिसूचना संख्या–154/52–4–2025–13 (एच)/2017, दिनांक 14 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित कर दी गयी है, और चूँकि, उत्तर प्रदेश हज समिति ने दिनांक 02 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे इन्दिरा भवन पंचम तल स्थित अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय सभाकक्ष, लखनऊ, उत्तर प्रदेश मे आयोजित बैठक में श्री दानिश आजाद अन्सारी, मा० सदस्य विधान परिषद को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है।

2–अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री दानिश आजाद अन्सारी, मा० सदस्य विधान परिषद के निर्वाचन को अधिसूचित करते हैं।

आज्ञा से,
संयुक्ता समद्दर,
प्रमुख सचिव।